

## अभियोजन निदेशालय उत्तर प्रदेश



- स्नैचिंग (चैन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग इत्यादि) में नए BNS कानून की धारा 304 के तहत 3 साल की सजा हो सकती है।
- यदि स्नैचर किसी गैंग का सदस्य है, तो धारा 112 के तहत कम से कम
  1 साल और अधिक से अधिक 7 साल तक की सजा हो सकती है।